संख्या-1283/12-3-2022-1520286

प्रेषक

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक: 08/12/2022

विषय:- आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 हेतु 89 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8903-कृषि विकास योजनायें के अन्तर्गत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./584/लेखा-3(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 24.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2021-22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित कृषि विकास योजनायें हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश के रूप में **रू0-295.33 लाख (रू0 दो करोड़ पिच्चानबे लाख तेंतीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म -800-अन्य व्यय 89 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8903-कृषि विकास योजनायें

धनराशि लाख रू0 में

क्र0 सं0	मानक मद	प्राविधान 2022-23	स्वीकृत धनराशि
			Crop Diversification Programme under Original Green Revolution States (CDP-OGRS)
1	27-सब्सिडी	8800.00	242.00
2	29-अनुरक्षण	200.00	
3	42-अन्य व्यय	1200.00	53.33
4	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	400.00	
5	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रसागिक व्यय	120.00	
6	46-कम्प्यूटर क्रय	40.00	
	योग	**10760.00**	**295.33**

(रू0 दो करोड़ पिच्चानबे लाख तेंतीस हजार मात्र)

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पश्चात कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा कि योजनान्तर्गत निर्गत राज्यांश के सापेक्ष अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है। प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा। प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का उत्तरदायित्व होगा। वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से पूर्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं 10 नवम्बर, 2022 के संलग्नक दिनांक 08 नवम्बर, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उक्त सहित संगत शासनादेशों में की गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind)

की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

6- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

7- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित परियोजना की संरचना कृषि विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हुई है तथा प्रस्ताव एवं आगणनों की जॉच सक्षम स्तर से कर ली गयी है।

8- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के बगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ

फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

10- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ए्इ-पेमेंट के माध्यम से किये जाने एवं शासनादेश संख्या-ए- 1-285/दस-2012- 10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मए्इ, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभाथ्ाी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 तथा पत्र संख्या-सी.पी.एस.-1-1/2015- एन.एफ.एस.एम.(सी.डी.पी.), दिनांक 9.7.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

11- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आाधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/ परियोजना समन्वयक, यू. पी. डास्प द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

12- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। लाभार्थियों की सूची तथा उन्हें दिये गये लाभों का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

13- स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमो के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

14- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375 /10-2021-231/2021, दिनांक

22.03.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

16- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- **E-1-258-X-2022-23-दिनांक:30-11-2022** द्वारा दी गयी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

Signed by रवीन्द्र प्रताप सिंह
Date: 08-12-2022 13:29:17
Reason: Approved

भवदीय,

रवीन्द्र प्रताप सिंह, US (RPS)-
AER, कार्यालय अपर मुख्य सचिव (कृषि)

संख्या-1283(1)/12-3-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नर्इ दिल्ली।

4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वार्इ.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नर्इ दिल्ली।

5- अवर सचिव (आर.के.वी.वार्इ.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नर्इ दिल्ली।

6- निदेशक, आर के. वी. वार्इ., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वार्इ. सेल) कृषि भवन, नर्इ दिल्ली।

7- प्रमुख सचिव, समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

8- समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध सहित से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

9- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।

10- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वार्इ., कृषि भवन, लखनऊ।

12- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रवीन्द्र प्रताप सिंह, US (RPS)-
AER, कार्यालय अनु सचिव-3(कृषि)